



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112020-223301
CG-DL-E-25112020-223301

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2020/ अग्रहायण 4, 1942

No. 600]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2020/ AGRAHAYANA 4, 1942

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 731(अ).— दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक बैंककारी कंपनी है और भारत में बैंककारी कारबार कर रही है ;

और, तरलता, पूंजी और अन्य महत्वपूर्ण मानदंडों के संबंध में दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड की तेजी से बिगड़ती वित्तीय स्थिति और पूंजी निषेचन के लिए किसी विश्वसनीय योजना के अभाव में, रिज़र्व बैंक के लिए आवश्यक हो गया है कि वह जनहित में और विशिष्टतया जमाकर्ताओं के हित में तुरंत कार्रवाई करे और तदनुसार, दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के का.आ. संख्या 4127 (अ), तारीख 17 नवंबर, 2020 द्वारा जारी आदेश द्वारा अधिस्थगन के अधीन रखा गया था ;

और, अधिस्थगन की अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक ने, यह समाधान हो जाने पर कि जनहित में और जमाकर्ताओं के हित में ऐसा करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के समामेलन के लिए एक स्कीम तैयार की है ;

और, रिज़र्व बैंक ने, उक्त धारा की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार संबंधित बैंकों को प्रारूप में उक्त स्कीम को भेजने के पश्चात् और उक्त स्कीम के संबंध में प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात्, इसे मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजा था ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित स्कीम को मंजूरी देती बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ समामेलन) स्कीम, 2020 है ।

(2) यह 27 नवंबर, 2020 को प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएं--(1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) अभिप्रेत है ;

(ख) "नियत तारीख" से 27 नवंबर, 2020 अभिप्रेत है ;

(ग) "आस्ति खाता" से अंतरक बैंक के दायित्वों का समय-समय पर समायोजन करने के पश्चात् अधिशेष या कमी को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए पैरा 5 के उपपैरा (2) के अधीन खोला गया कल्पित खाता अभिप्रेत है ;

(घ) "अंतरक बैंक" से दि लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड अभिप्रेत है, जो एक बैंककारी कंपनी है, जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय करूर, तमिलनाडु में है;

(ङ) "अंतरिती बैंक" से डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन भारत में निगमित एक बैंककारी कंपनी है, और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है ;

(2) उन शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम में क्रमशः उनका है ।

3. आस्तियों और दायित्वों का अंतरण और उसके साधारण प्रभाव :

(1) अंतरक बैंक का प्रबंधन, जिसे, नियत तारीख से ही, अंतरिती बैंक को अंतरित किया जाता है और वह उसमें निहित हो जाएगा, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत सभी कारबार, आस्तियां (जिसके अंतर्गत मूर्त और अमूर्त आस्तियां भी हैं) संपदा, अधिकार, हक, हित, शक्तियां, दावे, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुमोदन, अनुज्ञा, प्रोत्साहन, ऋण, साहयिका, रियायत, अनुदान, सुविधा, विशेष प्रास्थिति और अन्य विशेषाधिकारी और सभी संपत्ति, चल और अचल, वास्तविक और व्यक्तिगत, मूर्त और अमूर्त, गुडविल, प्रतिलिप्यधिकार, नकद अतिशेष, पूंजी, आरक्षित निधि, विनिधान, व्युत्पन्नों में संव्यवहार और ऐसी संपत्ति में या उससे उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और कब्जे या आरक्षण में बौद्धिक संपदा के अधीन सभी वर्तमान या आकस्मिक, अधिकार आदि, जो किसी भी प्रकृति के हों, और जहां कहीं भी स्थित हो, (चाहे भारत के अंदर या बाहर), जिसके अंतर्गत भूमि, वाणिज्यिक या आवासीय परिसर, फिक्सर, यान,

नकद अतिशेष, निक्षेप, विदेशी मुद्रा, प्रकटित और अप्रकटित आरक्षित निधि, आरक्षित निधि, विशेष आरक्षित निधि, कोई अन्य निधि, स्टॉक, विनिधान, शेयर, लाभांश, बंधपत्र, डिबेंचर, प्रतिभूति, किसी औद्योगिक समुत्थान का प्रबंधन, किसी औद्योगिक समुत्थान को दिए गए ऋण, उधार और प्रत्याभूति, अन्य अभिधृति, पट्टे, बही ऋण और प्रबंधन के संबंध में अंतरक बैंक की ऐसी संपत्ति से उद्भूत होने वाले ऐसे सभी अन्य अधिकार और हित, जो भारत के भीतर या बाहर, अंतरक बैंक के स्वामित्व में, कब्जे या शक्ति या नियंत्रण में और सभी बही खाते, रजिस्टर, अभिलेख और सभी अन्य दस्तावेज, जो उसके संबंध में किसी भी प्रकार के हों, इस स्कीम के ठीक प्रारंभ से पूर्व थे तथा इसके बारे में यह भी समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत भारत के भीतर या उसके बाहर सभी उधार, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यता भी हैं, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, जो अंतरक बैंक के समय अस्तित्व में थीं, चाहे वे प्रबंधनों के संबंध में उन पर किसी भार, विल्लंगम, धारणाधिकार या प्रतिभूति के साथ, जो प्रतिभूत या अप्रतिभूत हों या नहीं।

(2) जब तक स्कीम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार, मुख्तारनामे, विधिक प्रतिनिधित्व का अनुदान, और अन्य लिखत, चाहे किसी भी प्रकृति के हों, या नियत तारीख से ठीक पूर्व अस्तित्व में हैं या प्रभावी हैं, उस विस्तार तक और अंतरिती बैंक के विरुद्ध या उसके पक्ष में, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में प्रभावी होंगे और इस प्रकार इनका पालन किया जा सकेगा, मानो अंतरक बैंक के स्थान पर, अंतरिती बैंक उसका एक पक्षकार रहा हो या मानो वे उन्हें उसके अंतरिती बैंक के पक्ष में जारी किया गया हो और किसी तृतीय पक्षकार या ऐसे अन्य व्यक्ति, जो इस उपपैरा के अन्य उपबंधों को प्रभावी करने के लिए पूर्वोक्त लिखतों या ठहरावों में से किसी लिखत या ठहराव का पक्षकार है, की सहमति अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं होगा।

(3) यदि किसी नियत तारीख को, कोई वाद हेतुक, वाद, डिक्री, वसूली प्रमाणपत्र, अपील या अन्य कार्यवाहियां, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, अंतरक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण (जिसके अंतर्गत शंकाओं के परिवर्जन के लिए, माध्यस्थम अधिकरण भी है) के समक्ष लंबित है, तो इनका उपशमन नहीं होगा, इन्हें बंद नहीं किया जाएगा या इनका किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु इन्हें स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अभियोजित किया जाएगा और अंतरिती बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जाएगा :

परंतु जहां किसी परिनियम या किसी नियम या तदधीन किए गए निदेश या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन, नियत तारीख से पूर्व अंतरक बैंक के निदेशक या सचिव, प्रबंधक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी द्वारा किया गया है या उनके विरुद्ध दांडिक अपराध के लिए कोई कार्यवाही संस्थित की गई है, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 के लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी विधि के अधीन उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार, उन्हें इस प्रकार दंडित किया जाएगा, मानो अंतरक बैंक, जो एक बैंककारी कंपनी है, का विघटन न किया गया हो।

(4) अंतरक बैंक के पक्ष में या उसके फायदे के लिए सृजित कोई प्रतिभूति हित, चाहे ऐसा प्रतिभूति हित चल, अचल, मूर्त या अमूर्त संपत्ति पर हो, या चाहे वह बंधक, आडमान, गिरवी, धारणाधिकार या प्रतिभूति हित के सृजन के किसी अन्य प्ररूप या ढंग के रूप में हो, और अंतरक बैंक के पक्ष में या उसके फायदे के लिए सभी प्रत्याभूतियां, सुविधा पत्र, प्रत्ययपत्र या वैसी ही लिखतें, किसी अतिरिक्त कार्य, विलेख, लिखत या बात के बिना, अंतरिती बैंक को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे या अंतरिती बैंक को अंतरित हुई और उसमें निहित हुई समझी जाएगी और पूर्ण प्रवृत्त और प्रभावी होते रहेंगे तथा इस प्रकार पूर्णतः और प्रभावी रूप से ऐसे प्रवृत्त होते रहेंगे, मानो अंतरक बैंक के स्थान पर अंतरिती

बैंक फायदाग्राही या उसका एक पक्षकार रहा हो और फायदा अंतरिती बैंक को इस प्रकार उपलब्ध होगा, मानो ये वे मुद्दे रहे हों, जो अंतरिती बैंक के पक्ष में सृजित किए गए हों और किसी भी हैसियत में, वह जो भी हो, उससे संबंधित या ऐसे किसी व्यक्ति की, जिसने इस उपपैरा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए ऐसी प्रतिभूति सृजित की है, सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(5) प्रोत्साहन, सहायकी, छूट, जिनके अंतर्गत अंतरक बैंक द्वारा उपयोग किए गए या लाभ लिए गए माल और सेवा कर फायदे, आय-कर अवकाश, या फायदे या हानियां और अन्य फायदे या छूट या उपभोग किए गए विशेषाधिकार, किसी अतिरिक्त कार्य या विलेख के बिना, उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर अंतरिती बैंक में उसी प्रकार निहित हो जाएंगे या उसको उपलब्ध होंगे, मानो इन्हें अंतरिती बैंक को आबंटित, अनुदत्त, मंजूर या अनुज्ञात किया गया हो।

(6) भारत से बाहर किसी भी देश की विधियों के अनुसार, उनके स्वयं के द्वारा, स्कीम के उपबंध उस देश में, जो अंतरक बैंक के कारबार का भागरूप है, स्थित किसी आस्ति या दायित्व को अंतरिती बैंक को या में अंतरित करने या निहित करने के लिए प्रभावी नहीं है, ऐसी आस्ति या दायित्व के संबंध में, अंतरक बैंक के कार्यकलाप, नियत तारीख को, अंतरिती बैंक के तत्समय प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप दिए जाएंगे और प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी, ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे सभी कार्य तथा बातें कर सकेगा, जिनका प्रयोग ऐसी आस्तियों को प्रभावी रूप से अंतरित करने और ऐसे दायित्वों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए अंतरक बैंक द्वारा किया गया होता और ऐसे सभी उपाय करेगा जो ऐसे अंतरण को करने या उसे निहित करने के प्रयोजन के लिए और उसके संबंध में भारत से बाहर ऐसे किसी देश की विधियों के अनुसार अपेक्षित हो, या तो जो स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से, अंतरक बैंक की किसी आस्ति को वसूल कर सकेगा या उसके किसी दायित्व का निर्वहन कर सकेगा और अंतरिती बैंक को उसके शुद्ध आगमों को अंतरित कर सकेगा।

4. अंतरक बैंक की बहियों का बंद किया जाना और तुलन पत्र तैयार करना : (1) अंतरक बैंक की बहियां, कारबार के बंद हो जाने पर 17 नवम्बर, 2020 को प्रथमतः बंद कर दी जाएंगी और तत्पश्चात् नियत तारीख से ठीक पूर्व तारीख को कारबार के बंद हो जाने पर तुलनपत्र की चार्टर्ड अकाउन्टेंट या इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित या नामनिर्देशित चार्टर्ड अकाउन्टेंट फर्म द्वारा संपरीक्षा कराई जाएगी और उसे प्रमाणित करवाया जाएगा।

(2) उपपैरा (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया अंतरक बैंक के तुलनपत्र की एक प्रति इसके प्राप्त किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र रजिस्ट्रार कंपनी के पास अंतरिती बैंक द्वारा फाइल की जाएगी और तत्पश्चात् अंतरक बैंक से तुलनपत्र या लाभ तथा हानि लेखे तैयार करने या उन्हें उसके सदस्यों के समक्ष रखने या कंपनी रजिस्ट्रार के पास उनकी प्रतियां फाइल करने या तुलनपत्र तथा लेखाओं पर विचार करने के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए बोर्ड की कोई बैठक या वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने या कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों का अनुपालन करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और तत्पश्चात् अंतरक बैंक के निदेशक बोर्ड के लिए आवश्यक नहीं होगा कि वह किसी प्रयोजन के लिए बैठक करे।

5. आस्तियों का मूल्यांकन और दायित्वों का अवधारण :

(1) अंतरिती बैंक निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अंतरक बैंक की आस्तियों का मूल्यांकन करेगा और उसके दायित्वों की गणना करेगा, अर्थात् :--

(क) सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न विनिधानों का नियत तारीख से ठीक पूर्व दिन को विद्यमान बाजार दरों पर मूल्यांकन किया जाएगा ;

(ख) (i) सरकारी प्रतिभूतियों का वर्तमान रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार नियत तारीख से ठीक पूर्व दिन को मूल्यांकन किया जाएगा ;

(ii) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों जैसे डाकघर प्रमाणपत्र, राजकोष बचत प्रमाणपत्र और केंद्रीय सरकार की लघु बचत स्कीमों के अधीन जारी किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों या प्रमाणपत्रों का उक्त तारीख को उनके अंकित मूल्य पर या भुनाने पर मिल सकने वाला मूल्य पर, जो भी अधिक हो, मूल्यांकन किया जाएगा ;

(iii) जहां अंतरक बैंक द्वारा धारित जमींदारी उत्पादन बंधपत्र या अन्य वैसी ही प्रतिभूति जैसी किसी सरकारी प्रतिभूति का बाजार मूल्य, जिसके संबंध में मूलधन किस्तों में संदेय है, अभिनिश्चय नहीं है या किसी कारणवश उसके उचित मूल्य को परिलक्षित करने के रूप में या अन्यथा रूप में समुचित नहीं समझा जाता है, वहां प्रतिभूति का मूल्यांकन ऐसी रकम पर किया जाएगा, जो मूलधन की किस्तों और संदत्त किए जाने वाले शेष ब्याज, वह अवधि, जिसके दौरान ऐसी किस्तें संदेय है, सरकार द्वारा जारी किसी प्रतिभूति की प्राप्ति, जिनसे प्रतिभूति का संबंध है और जिसकी परिपक्वता एक जैसी है या लगभग एक जैसी है और अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त समझा जाता है ;

(ग) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बंधपत्र या अन्य निवेश का बाजार मूल्य असामान्य कारकों से प्रभावित होने के कारण युक्ति युक्त नहीं माना जाता है, वहां किसी युक्तियुक्त अवधि के दौरान निवेश का मूल्यांकन उसके औसत बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा ;

(घ) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बंधपत्र या अन्य निवेश का बाजार मूल्य अभिनिश्चय नहीं है, वहां केवल ऐसा मूल्य, यदि कोई हो, हिसाब में लिया जाएगा, जो जारीकर्ता समुत्थान की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसके द्वारा पिछले पांच वर्ष में संदत्त लाभांश और अन्य सुसंगत कारकों को उचित माना जाता है ;

(ङ) परिसरों और अन्य सभी स्थावर संपत्तियों और दावों की तुष्टि करने में अर्जित आस्तियों का मूल्यांकन उनके बाजार मूल्य पर किया जाएगा ;

(च) फर्नीचर और फिक्सचर, स्टॉक में उपलब्ध लेखन सामग्री और अन्य आस्तियों, यदि कोई हों, का मूल्यांकन वही के अनुसार अवलिखित मूल्य या वसूली योग्य मूल्य, जो भी युक्तियुक्त माना जाए, पर किया जाएगा ;

(छ) क्रय किए गए और मितिकाटा किए गए बिल सहित अग्रिम, वही ऋण, विविध आस्तियों और अन्य सभी शेष मूर्त या अमूर्त आस्तियों की अंतरिती बैंक द्वारा संवीक्षा की जाएगी और इसके कवर के रूप में धारित गारंटी सहित प्रतिभूतियों की अंतरिती बैंक द्वारा जांच और सत्यापन किया जाएगा और तत्पश्चात् अग्रिमों को, जिसमें उसके भाग भी हैं, दो प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा अर्थात् "ठीक और तुरंत वसूली योग्य समझे गए अग्रिम" और "तुरंत वसूली योग्य न समझे गए अग्रिम और/या डूबंत या शंकास्पद की वसूली अग्रिम" ।

(2) अंतरिती बैंक नियत तारीख को "आस्ति खाते" नामक एक खाता खोलेगा, जिसमें इस पैरा के अनुसार तत्काल वसूली योग्य के रूप में अवधारित आस्तियों के मूल्य को व्यपदिष्ट करने वाली समग्र राशि जमा की जाएगी ।

(3) (i) जहां किसी आस्ति का मूल्यांकन नियत तारीख को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, वहां इसे रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, इसे अंशतः या पूर्णतः बाद की तारीख को वसूली योग्य आस्ति माना जा सकता है ;

(ii) किसी आस्ति के मूल्यांकन और या किसी अग्रिम के वर्गीकरण और या किसी दायित्व के अवधारण के संबंध में किसी असहमति की स्थिति में, मामले को रिजर्व बैंक के पास उसकी राय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, बशर्ते कि जब तक ऐसी राय प्राप्त नहीं हो जाती है, अंतरिती बैंक द्वारा उस मद या उसके भाग का मूल्यांकन अनंतिम रूप से स्कीम के प्रयोजनों के लिए अपनाया जाएगा ;

(iii) ऐसा करने के लिए आवश्यक होने की दशा में रिजर्व बैंक इसके लिए सक्षम होगा कि वह ऐसी तकनीकी सलाह अभिप्राप्त करे, जो वह आस्ति की ऐसी किसी मद के मूल्यांकन या दायित्व की किसी ऐसी मद के अवधारण के संबंध में समुचित समझे और ऐसी सलाह अभिप्राप्त होने करने की लागत, अंतरक बैंक की आस्तियों में से पूर्णतः संदेय होगी।

(4) इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए दायित्वों में आकस्मिक दायित्वों सहित वे सभी दायित्व शामिल होंगे, जिनकी अंतरिती बैंक से नियत तारीख को या इसके पश्चात् उसके अपने संसाधनों से चुकाने की अपेक्षा की जाए।

(5) पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार आस्तियों के मूल्यांकन और दायित्वों का अवधारण, सभी संबंधित व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत बैंकों के सदस्य और लेनदार दोनों ही हैं, पर आबद्धकर होगा।

6. अंतरक बैंक के दायित्व का निर्वहन--(1) निम्नलिखित के संबंध में,—

(क) अंतरक बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा कर्मचारीवृंद प्रतिभूति जमाओं के रूप में उस बैंक के पास नियत तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज, यदि कोई हो, सहित जमा कोई राशि पूर्णतः संदत्त की जाएगी या उसके लिए उपबंध किया जाएगा ;

(ख) अंतरक बैंक के पास प्रत्येक बचत खाता या चालू खाता या कोई अन्य जमा खाता, जिसके अंतर्गत सावधि जमा, नकद प्रमाणपत्र, मासिक जमा या मांग किए जाने या अल्प सूचना पर संदेय जमा या कोई अन्य जमा, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अंतरिती बैंक नियत तारीख को अपने पास इस स्कीम के अधीन संदेय विस्तार तक ब्याज सहित उसमें पूर्ण रकम जमा करके उसके संबंधित धारकों के नाम तत्स्थानी और वैसा ही खाता खोलेगा :

परंतु जहां अंतरिती बैंक को किसी विशिष्ट खाते में की गई प्रविष्टियों की शुद्धता के बारे में कोई युक्तियुक्त शंका है, तो वहां यह रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, नियत तारीख से तीन मास की अवधि के दौरान उस खाते में की जाने वाली जमा को रोक सकेगा, जिसके अंदर अंतरिती बैंक ऐसे खाते के शुद्ध अतिशेष को अभिनिश्चित करेगा।

(2) किसी भी ब्याज वाले जमा खाते के संबंध में, अंतरिती बैंक नियत तारीख तक अंतरक बैंक की विद्यमान नीति के अनुसार लागू दर पर ब्याज का संदाय करेगा और किसी चालू खाते या किसी अन्य बिना ब्याज वाले खाते में अतिशेष के संबंध में खाताधारक को कोई ब्याज संदेय नहीं होगा, न ही कोई खाताधारक 17 नवम्बर, 2020 से नियत तारीख तक की अवधि के दौरान किसी जमाराशि का या अपने खाते से अन्य धनराशि का संदाय न करने के लिए किसी प्रतिकर का हकदार होगा।

(3) पैरा 5 के अधीन अंतरक बैंक के अवधारित अन्य दायित्व के संबंध में अंतरिती बैंक लेनदारों को ऐसे दायित्व की रकम का संदाय करेगा जब कभी वह देय होता है।

(4) किसी अन्य संविदा में अंतर्विष्ट, अभिव्यक्त या विवक्षित तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, नियत तारीख से ब्याज को अंतरिती बैंक में खोले गए नए खाते के संबंध में संदत्त किया जाएगा और उसका केवल ऐसी दरों पर, जो अंतरिती बैंक साधारणतया ऐसे खातों में अपने स्वयं के जमाकर्ताओं को अनुज्ञात करता है, स्कीम के उपबंधों के अनुसार जमा किया जाएगा।

(5) "आस्ति खाता" में प्रत्यय अतिशेष का विनियोग इस पैरा के अधीन दायित्व को चुकाने के लिए अपेक्षित सीमा तक किया जाएगा, यदि आस्ति खाते में अतिशेष पर्याप्त नहीं होता है तो कमी के उतने भाग को अंतरिती बैंक द्वारा व्यय की गई रकम समझा जाएगा।

7. अंतरक बैंक के सदस्यों और लेनदारों के अधिकार और दायित्व : (1) नियत तारीख से ही समादत्त शेयर पूंजी और आरक्षिती तथा आधिक्य, जिसके अंतर्गत अंतरक बैंक के शेयर या प्रतिभूति प्रीमियम खाते में अतिशेष भी है, की संपूर्ण रकम को बट्टे खाते में डाला जाएगा।

(2) नियत तारीख से ही, अंतरक बैंक इस स्कीम के प्रवर्तन के कारण अस्तित्व में नहीं रह जाएगा और किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध उसके शेयर या डिबेंचर, अंतरक बैंक, अंतरिती बैंक से किसी और कार्रवाई या किसी प्राधिकारी के आदेश के बिना असूचीबद्ध हो जाएंगे।

8. अंतरक बैंक के कर्मचारियों के अधिकार और बाध्यताएं : (1) अंतरक बैंक के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे और उन्हें उसी पारिश्रमिक पर और सेवा के समान निबंधनों और शर्तों पर, जो 17 नवम्बर, 2020 को कारबार के बंद होने से ठीक पूर्व ऐसे कर्मचारियों को लागू थीं, अंतरिती बैंक में नियुक्त हुआ समझा जाएगा :

परंतु अंतरक बैंक के कर्मचारी, जिन्होंने लिखित सूचना द्वारा अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक को नियत तारीख के पश्चात् अगले एक मास के अवसान से पूर्व किसी भी समय अंतरिती बैंक के कर्मचारी न बनने की अपने आशय की सूचना दी थी, ऐसे प्रतिकर, यदि कोई हो, का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अधीन संदाय किए जाने के और ऐसी पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और ऐसे अन्य सेवा निवृत्ति फायदों, जो 17 नवम्बर, 2020 को कारबार बंद होने से ठीक पूर्व यथा प्रवृत्त अंतरक बैंक के नियमों या प्राधिकारों के अधीन साधारणतया अनुज्ञेय हैं, हकदार होंगे :

परंतु यह और कि अंतरक बैंक अंतरक बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की सेवाओं को जारी रखना सम्यक् प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् नियत तारीख के बाद किसी भी समय समाप्त कर सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे और उन्हें उनके नियोजन के निबंधनों के अनुसार प्रतिकर दिया जाएगा।

(2) अंतरिती बैंक, अंतरक बैंक के कर्मचारियों के संबंध में, जिन्हें अंतरिती बैंक के कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया समझा गया है, के संबंध में अंतरक बैंक की सेवा में रहते हुए उनके छंटनी किए जाने की दशा में उनके लिए छंटनी प्रतिकर के दायित्व को भी अंतरिती बैंक द्वारा उनकी सेवा के जारी रहने के आधार पर लिया गया समझा जाएगा और यदि उसे अंतरक बैंक को उनके अंतरण द्वारा बाधित नहीं किया गया होता।

(3) अंतरिती बैंक नियत तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान से अपश्चात्, अंतरक बैंक के कर्मचारियों को अंतरक बैंक के उक्त कर्मचारियों की अर्हताओं और अनुभव के अंतरिती बैंक के अन्य कर्मचारियों के समान या समतुल्य रहने की शर्त के अधीन रहते हुए, वही पारिश्रमिक और तत्स्थानी रैंक और समान प्रास्थिति के कर्मचारियों को लागू पारिश्रमिक का संदाय करेगा या अनुदत्त करेगा, जिनकी सेवाएं उप पैरा (1) के अधीन अंतरिती बैंक में जारी हैं, सिवाय उनमें से ऐसे कर्मचारियों के जो उपपैरा (1) के परंतुक के अधीन सेवा में नहीं रहते हैं।

(4) अर्हताओं और अनुभव के समतुल्य होने का पता लगाने के प्रयोजन के लिए और अंतरक बैंक के कर्मचारियों के फिटमेंट का अंतरिती बैंक के समुचित संवर्ग में सुझाव देने के लिए अंतरिती बैंक, यथासंभवशीघ्र, एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा और आवश्यक नीति की विरचना करते हुए उसकी सिफारिशों पर विचार करेगा :

परंतु यदि उक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी की अर्हता और अनुभव अंतरिती बैंक के तत्स्थानी रैंक या प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों की अर्हताओं और अनुभव के समतुल्य है या उक्त कर्मचारियों के वेतन को अंतरिती बैंक के वेतनमान में नियत करने के लिए अंगीकृत प्रक्रिया या सिद्धांत के संबंध में कोई शंका या अंतर उत्पन्न होती है तो शंका या अंतर को रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) अंतरक बैंक के कर्मचारियों के लिए गठित किसी भविष्य निधि, उपदान निधि के न्यासी या प्रशासक, अंतरक बैंक, नियत तारीख के पश्चात् या यथास्थिति, अंतरिती बैंक के लिए गठित कर्मचारियों की भविष्य निधि या उपदान निधि

या पेंशन निधि के न्यासियों में या अन्यथा जैसा कि अंतरिती बैंक निदेश दे, अंतरक बैंक के कर्मचारियों के फायदे के लिए न्यास में धारित सभी धन और विनिधान अंतरित हो जाएंगे और नियत तारीख से अंतरिती बैंक या पेंशन निधि के न्यासी उनकी पात्रता के अनुसार अंतरक बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का संदाय वैसी ही रीति में करता रहेगा, जैसे वे उस तारीख से पहले प्राप्त कर रहे थे।

परंतु बाद के ऐसे न्यासी नियत तारीख से पूर्व विनिधानों के मूल्य में किसी कमी या किसी कृत्य, उपेक्षा या किए गए व्यतिक्रम के लिए दायी नहीं होंगे।

9. जमाकर्ताओं या लेनदारों द्वारा मांग : अंतरक बैंक का कोई जमाकर्ता या लेनदार अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक के विरुद्ध उसके प्रति अंतरक बैंक के किसी दायित्व के संबंध में, सिवाय स्कीम द्वारा विनिर्दिष्ट परिमाण का कोई मांग करने का हकदार नहीं होगा।

10. अंतरक बैंक की शाखाओं का पुनर्गठन : अंतरिती बैंक के पास अंतरक बैंक की शाखाओं का अपनी सुविधानुसार आमेहन करने का विकल्प होगा और वह रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अंतरक बैंक की विद्यमान शाखाओं को बंद कर सकेगा या स्थानांतरित कर सकेगा।

11. विवरण और सूचना प्रस्तुत करना : अंतरिती बैंक, रिजर्व बैंक को ऐसे विवरण और सूचना प्रस्तुत करेगा जो रिजर्व बैंक द्वारा इस स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में समय-समय पर अपेक्षित हो।

12. नोटिस तामील करने की रीति : अंतरिती बैंक द्वारा दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई नोटिस या अन्य संसूचना को सम्यकतः दिया गया समझा जाएगा, यदि उसे स्पीड पोस्ट या किसी कुरियर या पूर्व संदत्त साधारण डाक या ई-मेल द्वारा या अन्यथा पता लिखा हुआ और प्रेषिती को अंतरिती बैंक की लेखाबहियों में रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजा गया है जब तक कि अंतरिती बैंक की लेखाबहियों में नया पता रजिस्ट्रीकृत नहीं कर लिया जाता है और कोई नोटिस या संसूचना जो सामान्य हित की है, को उसके अतिरिक्त एक या अधिक दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापित किया जाएगा जिनका उन स्थानों पर परिचालन है, जहां अंतरक बैंक का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है।

13. स्कीम के उपबंधों का निर्वचन : यदि इस स्कीम के उपबंधों के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न होती है तो इस विषय को रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस मुद्दे पर उसके विचार अंतिम होंगे और सभी संबंधित व्यक्तियों पर आवद्धकर होंगे।

[फा. सं. 7/114/2020-बीओए-1]

पंकज जैन, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
(BANKING DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2020

G.S.R. 731(E).— Whereas, the Lakshmi Vilas Bank Limited is a banking company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and carrying on the business of banking in India;

And whereas, the rapidly deteriorating financial position of the Lakshmi Vilas Bank Limited relating to liquidity, capital and other critical parameters and the absence of any credible plan for infusion of capital has necessitated Reserve Bank to take immediate action in public interest and particularly in the interest of the depositors and accordingly, the Lakshmi Vilas Bank Limited was placed under moratorium by an order of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Financial Services vide number S.O.4127(E), dated the

17th November, 2020 in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

And whereas, during the period of moratorium, the Reserve Bank, being satisfied that in the public interest and in the interest of the depositors so to do, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 45 of the said Act, has prepared a Scheme for amalgamation of the Lakshmi Vilas Bank Limited with the DBS Bank India Limited;

And whereas, the Reserve Bank, after having sent the said Scheme in draft to the banks concerned in accordance with the provisions of sub-section (6) of the said section and after having considered the suggestions and objections received in regard to the said Scheme, had forwarded it to the Central Government for sanction.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 45 of the said Act, the Central Government hereby sanctions the following Scheme, subject to the terms and conditions hereafter mentioned, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) This Scheme may be called the Lakshmi Vilas Bank Limited (Amalgamation with DBS Bank India Limited) Scheme, 2020.

(2) It shall come into force on the 27th day of November, 2020.

2. Definitions – (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(b) "appointed date" means the 27th day of November, 2020;

(c) "asset account" means a notional account opened under sub-paragraph (2) of paragraph 5 for the purposes of ascertaining the surplus or shortfall after adjustment from time to time of liabilities of the transferor bank;

(d) "transferor bank" means the Lakshmi Vilas Bank Limited, a banking company having its registered office at Karur, Tamil Nadu;

(e) "transferee bank" means the DBS Bank India Limited, a banking company incorporated in India under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and having its registered office at New Delhi.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Transfer of assets and liabilities and general effect thereof.— (1) The undertaking of the transferor bank which is transferred to, and will vest in, the transferee bank on and from the appointed date shall be deemed to include all business, assets (including tangible and intangible), estates, rights, titles, interest, powers, claims, licenses, authorities, permits, approvals, permissions, incentives, loans, subsidies, concessions, grants, liberties, special status' and other privileges and all property, movable and immovable, real and personal, tangible and intangible, goodwill, copyright, cash balances, capital, reserve funds, investments, transactions in derivatives, and all other rights and interests in, or arising out of, such property and all rights under the intellectual property etc., in possession or reservation, present or contingent of whatever nature and wheresoever situated (whether within or outside India), including lands, commercial or residential premises, fixtures, vehicles, cash balances, deposits, foreign currencies, disclosed and undisclosed reserves, reserve fund, special reserve fund, any other fund, stocks, investments, shares, dividends, bonds, debentures, security, management of any industrial concern, loans, advances and guarantees to any industrial concern, other tenancies, leases and book-debts and all other rights and interests arising out of such property of the transferor bank in relation to the undertaking as were immediately before the commencement of this Scheme, in the ownership, possession, power or control of the transferor bank within or outside India, and all books of accounts, registers, records and all other documents of whatever nature relating thereto and shall also be deemed to include all borrowings, liabilities, duties and obligations of whatever kind within or outside India then subsisting of the transferor bank whether secured or unsecured, along with any charge, encumbrance, lien or security thereon in relation to the undertaking.

(2) Unless otherwise expressly provided in this Scheme, all contracts, deeds, bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting or having effect immediately before the appointed date shall be effective to the extent and in the manner hereinafter provided against or in favour of the

transferee bank and may be acted upon, as if, instead of the transferor bank, the transferee bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee bank thereto and it shall not be necessary to obtain the consent of any third party or other person who is a party to any of the aforesaid instruments or arrangements to give effect to the provisions of this sub-paragraph.

(3) If on the appointed date, any cause of action, suit, decrees, recovery certificates, appeals or other proceedings of whatever nature is pending by or against the transferor bank before any court or tribunal or any other authority (including for the avoidance of doubt, an arbitral tribunal), the same shall not abate, be discontinued or be in any way prejudicially affected, but shall, subject to the other provisions of this Scheme, be prosecuted and enforced by or against the transferee bank:

Provided that where a contravention of any of the provisions of any statute or of any rule, regulation, direction or order made thereunder has been committed by, or any proceeding for a criminal offence has been instituted against, a director or secretary, manager, officer or other employee of the transferor bank before the appointed date, such director, secretary, manager, officer or other employee shall, without prejudice to the application of section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), be liable to be proceeded against under such law and punished accordingly, as if the transferor bank, being a banking company had not been dissolved.

(4) Any security interest created in favour of or for the benefit of the transferor bank whether such security interest be over immovable, movable, tangible or intangible property, and whether by way of mortgage, hypothecation, pledge, lien or any other form or mode of creation of security interest, and all guarantees, letters of comfort, letters of credit or similar instruments in favour of or for the benefit of the transferor bank, shall without any further act, deed, instrument or thing, be transferred to and vested in the transferee bank or be deemed to have been transferred to and vested in the transferee bank, and shall continue to be in full force and effect and may be enforced as fully and effectually as if instead of the transferor bank, the transferee bank had been the beneficiary or a party thereto, and the benefit shall be available to the transferee bank, as if the same were issues created in favour of the transferee bank and it shall not be necessary to obtain the consent of any person concerned therewith in any capacity whatsoever or of the person who created such security in order to give effect to the provisions of this sub-paragraph.

(5) The incentives, subsidies, exemptions, including goods and services tax benefits, income tax holiday or benefit or losses and other benefits or exemptions or privileges enjoyed, or availed of by the transferor bank shall without any further act or deed shall vest with and be available to the transferee bank on the same terms and conditions, as if the same had been allotted or granted or sanctioned or allowed to the transferee bank.

(6) If, according to the laws of any country outside India, the provisions of this Scheme, by themselves, are not effective to transfer or vest any asset or liability situated in that country which forms part of the undertaking of the transferor bank to or in the transferee bank, the affairs of the transferor bank in relation to such asset or liability shall, on the appointed date, stand entrusted to the Managing Director and Chief Executive Officer for the time being of the transferee bank and the Managing Director and Chief Executive Officer may exercise all powers and do all such acts and things as would have been exercised or done by the transferor bank for the purpose of effectively transferring such assets and discharging such liabilities and shall take all such steps as may be required by the laws of any such country outside India for the purpose of effecting such transfer or vesting and in connection therewith, may, either himself or through any person authorised by him in this behalf, realise any assets or discharge any liability of the transferor bank and transfer the net proceeds thereof to the transferee bank.

4. Closure of books of transferor bank and preparation of balance sheet.— (1) The books of the transferor bank shall be closed and the balance sheet prepared in the first instance at the close of business on the 17th day of November, 2020 and thereafter as at the close of business on the date immediately preceding the appointed date and the balance sheet shall be got audited and certified by a chartered accountant or a firm of chartered accountants approved or nominated by the Reserve Bank for the purpose.

(2) A copy of the balance sheet of the transferor bank prepared in accordance with the provisions of sub-paragraph (1), shall be filed by the transferee bank with the Registrar of Companies as soon as possible after it has been received and thereafter the transferor bank shall not be required to prepare balance sheet or profit and loss accounts, or to lay the same before its members or file copies thereof with the Registrar of Companies or to hold any board meeting or annual general meeting for the purpose of considering the balance sheet and accounts or for any other purpose or to comply with the provisions of the Companies Act, 2013 and it shall not thereafter be necessary for the Board of Directors of the transferor bank to meet for any purpose.

5. Valuation of assets and determination of liabilities.—

(1) The transferee bank shall value the assets and reckon the liabilities of the transferor bank in accordance with the following provisions, namely:—

(a) investments other than Government Securities shall be valued at the market rates prevailing on the day immediately preceding the appointed date;

(b) (i) the Government Securities shall be valued as on the day immediately preceding the appointed date in accordance with the Reserve Bank guidelines;

(ii) the Securities of the Central Government such as Post Office Certificates, Treasury Savings Deposit Certificates and any other securities or certificates issued under the small savings Scheme of the Central Government shall be valued at their face value or the encashable value as on the said date, whichever is higher;

(iii) where the market value of any Government Security such as the Zamindari Abolition Bonds or other similar security, if any, held by the transferor bank in respect of which the principal is payable in installments is not ascertainable or is, for any reason, not considered as reflecting the fair value thereof or as otherwise appropriate, the security shall be valued at such amount as is considered reasonable having regard to the installments of principal and interest remaining to be paid, the period during which such installments are payable, the yield of any security issued by the Government to which the security pertains and having the same or approximately the same maturity, and other relevant factors;

(c) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, the investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period;

(d) where the market value of any security, share, debenture, bond or other investments is not ascertainable, only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable, having regard to the financial position of the issuing concern, the dividends paid by it during the preceding five years and other relevant factors;

(e) premises and all other immovable properties and any assets acquired in satisfaction of claims shall be valued at their market value;

(f) the furniture and fixtures, stationery in stock and other assets, if any, shall be valued at the written down value as per books or the realisable value as may be considered reasonable;

(g) advances, including bills purchased and discounted, book debts, sundry assets, and all other remaining tangible or intangible assets will be scrutinised by the transferee bank and the securities, including guarantees, held as cover therefor examined and verified by the transferee bank and thereafter the advances, including portions thereof, will be classified into two categories namely, "Advances considered good and readily realisable" and "Advances considered not readily realisable and or bad or doubtful of recovery".

(2) The transferee bank shall open on the appointed date, an account to be called the "asset account" into which shall be credited the aggregate amount representing the value of the assets determined as readily realisable assets in accordance with this paragraph.

(3) (i) Where the valuation of any asset cannot be determined on the appointed date, it may, with the approval of the Reserve Bank, be treated partly or wholly as an asset realisable at a later date;

(ii) In the event of any disagreement as regards the valuation of any asset and or the classification of any advance and or the determination of any liability, the matter shall be referred to the Reserve Bank, for its opinion, provided that until such an opinion is received, the valuation of the item or portion thereof by the transferee bank shall provisionally be adopted for the purposes of this Scheme;

(iii) It shall be competent for the Reserve Bank, in the event of its becoming necessary to do so, to obtain such technical advice as it may consider to be appropriate in connection with the valuation of any such item of asset or determination of any such item of liability, and the cost of obtaining such advice shall be payable in full out of the assets of the transferor bank.

(4) Liabilities for purposes of this Scheme shall include all liabilities, including contingent liabilities, which the transferee bank may be required to meet out of its own resources on or after the appointed date.

(5) The valuation of the assets and the determination of the liabilities in accordance with the foregoing provisions shall be binding on all concerned, including the members and creditors of both the banks.

6. Discharge of liability of transferor bank.— (1) In respect of:

(a) any sums deposited by any employee of the transferor bank with that bank as staff security deposits, together with interest, if any, accrued thereon up to the appointed date shall be paid or provided for in full;

(b) every savings bank account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor bank, the transferee bank shall open with itself on the appointed date, a corresponding and similar account in the name of the respective holders thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable under this Scheme:

Provided that where the transferee bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Reserve Bank withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the appointed date within which the transferee bank shall ascertain the correct balance in such account.

(2) In respect of any interest bearing deposit accounts, the transferee bank shall pay interest at the rate applicable in accordance with the prevailing policy of transferor bank till the appointed date and in respect of balances in any current account or any other non-interest bearing account, no interest shall be payable to the account holder nor shall any account holder be entitled to claim any compensation for the non-payment of any deposit or other money from his account during the period from the 17th day of November, 2020 till the appointed date.

(3) In respect of every other liability of the transferor bank determined under paragraph 5, the transferee bank shall pay to the creditors the amount of such liability as and when they fall due.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in any contract, express or implied, interest from the appointed date shall be paid in respect of the new account opened with the transferee bank and credited in accordance with the provisions of this Scheme only at such rates as the transferee bank normally allows to its own depositors for such accounts.

(5) The credit balance in the asset account shall be appropriated to the extent required to meet the liability under this paragraph if the balance in the asset account is not sufficient and so much of the shortfall shall be treated as amount spent by the transferee bank.

7. Rights and liabilities of members and creditors of transferor bank.— (1) On and from the appointed date, the entire amount of the paid-up share capital and reserves and surplus, including the balances in the shares or securities premium account of the transferor bank, shall stand written off.

(2) On and from the appointed date, the transferor bank shall cease to exist by operation of this Scheme, and its shares or debentures listed in any stock exchange shall stand delisted without any further action from the transferor bank, transferee bank or order from any authority.

8. Rights and obligations of the employees of transferor bank.— (1) All the employees of the transferor bank shall continue in service and be deemed to have been appointed in the transferee bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, as were applicable to such employees immediately before the close of business on the 17th day of November, 2020:

Provided that the employees of the transferor bank, who have by notice in writing given to the transferor bank or the transferee bank at any time before the expiry of one month next following the appointed date intimated their intention of not becoming employees of the transferee bank shall be entitled to the payment of such compensation, if any, under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and such pension, gratuity, provident fund and other retirement benefits as may be ordinarily admissible under the rules or authorisations of the transferor bank as in force immediately before the close of business on the 17th day of November, 2020:

Provided further that the transferee bank may discontinue the services of the Key Managerial Personnel of the transferor bank after following the due procedure at any time after the appointed date, as it deems necessary, and providing them compensation as per the terms of their employment.

(2) The transferee bank shall, in respect of the employees of the transferor bank who are deemed to have been appointed as employees of the transferee bank, be deemed also to have taken over the liability for them of retrenchment compensation in the event of their being retrenched while in the service of the transferee bank on the basis that their service has been continuous and has not been interrupted by their transfer to the transferee bank.

(3) The transferee bank shall, not later than the expiry of the period of three years from the appointed date, pay or grant to the employees of the transferor bank whose services are continued in the transferee bank under sub-paragraph (1), except such of the employees who ceases to be in service under the proviso to the said sub-paragraph (1), the same remuneration and the same terms and conditions of service as are applicable to the employees of corresponding rank or status of the transferee bank subject to the qualifications and experience of the said employees of the transferor bank being the same as or equivalent to those of such other employees of the transferee bank;

(4) For the purposes of assessing the equivalence of qualification and experience and suggesting fitment of employees of the transferor bank in an appropriate cadre in the transferee bank, the transferee bank shall, as soon as possible, constitute an expert committee and may take into account its recommendations while framing necessary policy:

Provided that if any doubt or difference arises as to whether the qualifications or experience of any of the said employees are the same as or equivalent to the qualifications and experience of the other employees of corresponding rank or status of the transferee bank or as to the procedure or principles to be adopted for the fixation of pay of the said employees in the scales of pay of the transferee bank, the doubt or difference shall be referred to the Reserve Bank whose decision thereon shall be final.

(5) The trustees or administrators of any provident fund, gratuity fund or pension fund constituted for the employees of the transferor bank, or as the case may be, the transferor bank, shall on or as soon as possible after the appointed date, transfer to the trustees of the employees' provident fund or gratuity fund or pension fund constituted for the transferee bank or otherwise as the transferee bank may direct, all the moneys and investments held in trust for the benefit of the employees of the transferor bank and from the appointed date, the transferee bank or trustees of the pension fund shall continue to pay pension to the retired employees of the transferor bank according to their eligibility and in the same manner as they were getting before that date:

Provided that such latter trustees shall not be liable for any deficiency in the value of investments, or in respect of any act, neglect or default done before the appointed date.

9. Demand by depositors or creditors.— No depositor or creditor of the transferor bank shall be entitled to make any demand against the transferor bank or the transferee bank in respect of any liability of the transferor bank to him except to the extent specified by this Scheme.

10. Reorganisation of branches of transferor bank.—The transferee bank shall have the option of merging branches of transferor bank according to its convenience and may close down or shift the existing branches of the transferor bank, as per the instructions issued by the Reserve Bank.

11. Furnishing statements and information.— The transferee bank shall submit to the Reserve Bank such statements and information as may be required by it from time to time regarding the implementation of this Scheme.

12. Manner of service of notice.— Any notice or other communication required to be given by the transferee bank shall be considered to be duly given if addressed and sent by speed post or by courier or by pre-paid ordinary post or by e-mail or otherwise to the addressee at the address registered in the books of the transferor bank, until a new address is registered in the books of the transferee bank and any notice or communication, which is of general interest shall be advertised, in addition, in one or more daily newspapers, which may be in circulation at the places where the registered office of transferor bank is situated.

13. Interpretation of provisions of this Scheme.—If any doubt arises in the interpretation of the provisions of this Scheme, the matter shall be referred to the Reserve Bank and its views on the issue shall be final and binding on all concerned.

[F. No. 7/114/2020-BOA.I]
PANKAJ JAIN, Addl. Secy.